मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः12.04.2025

थाना लालगंज पुलिस द्वारा 04 किलो 240 ग्राम अवैध गांजा के साथ एक अभियुक्त (NCB द्वारा वांछित अभियुक्त) गिरफ्तार —

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर 'सोमेन बर्मा' द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान तथा मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री, अवैध/अपमिश्रित शराब का निर्माण/बिक्री करने वालो के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने हेतु जनपद के समस्त थाना प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिये गये है।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में दिनांकः 12.04.2025 को उपनिरीक्षक हरिकेश सिंह व उप निरीक्षक सुरेन्द्र कुमार दूबे मय पुलिस टीम देखभाल क्षेत्र/गश्त में मामूर थे कि इस दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति गोलू उर्फ अशोक कुमार जायसवाल पुत्र बृजमोहन उर्फ पप्पू निवासी ग्राम दुबारकलां थाना लालगंज जनपद मीरजापुर (NCB का वांछित अभियुक्त) को 04 किलो 240 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से गांजा बिक्री के 4250 रूपये, जमातलाशी का 2120 रूपये व 01 अदद अवैध चाकू बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना लालगंज पर एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्त को मा0न्यायालय/जेल भेजा गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त —

गोलू उर्फ अशोक कुमार जायसवाल पुत्र बृजमोहन उर्फ पप्पू निवासी ग्राम दुबारकलां थाना लालगंज जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-25 वर्ष।

विवरण बरामदगी —

04 किलो 240 ग्राम अवैध गांजा।

गांजा बिक्री के 4250 रूपये व जमातलाशी का 2120 रूपये व 01 अदद अवैध चाकू।

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0सं0-127/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना लालगंज जनपद मीरजापुर।

मु0अ0सं0-128/2025 धारा 4/25 आयुध अधि. थाना लालगंज जनपद मीरजापुर।

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0-218/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस अधि. थाना लालगंज जनपद मीरजापुर।

मु0अ0सं0-80/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस अधि. थाना माण्डा जनपद प्रयागराज।

मु0अ0सं0-79/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस अधि. थाना माण्डा जनपद प्रयागराज।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय —

पतारकलां पंचायत भवन के पास से, दिनांकः 12.04.2025

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

उप-निरीक्षक हरिकेश सिंह व उप निरीक्षक सुरेन्द्र कुमार मय पुलिस टीम थाना लालगंज जनपद मीरजापुर।